

FORM NO- III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत सुपरींटेंड अधिकारी मुकाम बयाना
 भगवान सिंह बनाम शारदा देवी (एकिरम मुकदमा)
 दावा 53120 RT-नं 269/23

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तागील में जारी हुए

23/11/23 दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/प्रतिवादी को जरिए समन तलब कर पत्रावली दिनांक 5/2/24 को पेश हो।

5/2/24

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/2/24 को पेश हो
रीडर
ओ.एस.डी.एम.

श्री 15/11/20, 21, 24, 28, 29
30/11/24 को पेश हो
कुमार लोचनी 1250 न
लक्ष्मणाराव पंडित

20/11/24

10/11/24

वकुभाप उपाय जमानत व नुकलीयुक्त प्रतिवादीगण हेतु नोटा चाला हेतु अहकाम दिनांक 12/9/24 को पेश हो

12/9/24

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/9/24 को पेश हो
रीडर
ओ.एस.डी.एम.

16/11/24

एडवोकेट अमर / पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/3/25 को पेश हो

27/3/25

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/3/25 को पेश हो
रीडर
ओ.एस.डी.एम.

8/2/25

वकुभाप उपाय जमानत व नुकलीयुक्त प्रतिवादीगण हेतु नोटा चाला हेतु अहकाम दिनांक 12/9/24 को पेश हो

12/9 प्रकल्प बनाए पेश हुआ। प्रकल्प में
विकल्पों का उनके करीबों का रूप
प्रकल्प में न्यायालय द्वारा ले गए
गए कावाण लागवाइ २३। कावाण
अपरान्त की प्रकल्प में कोई अर्थ नहीं।

अतः प्रकल्प द्वारा हर पर अदम
दायरी व अदम परवी में व्वादिता किया
जाल है पंजावली फैलल सुमार अंगर
गम्वा के अर्थ ही बाद-वक्रील कायिल
दफ्तर ही ^{रखी}

[Faint handwritten text in Hindi]

[Faint handwritten text in Hindi]

[Faint handwritten text in Hindi]

[Faint handwritten text in Hindi]

[Faint handwritten text in Hindi]

[Faint handwritten text in Hindi]